न्यायालय लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीनअधिकारी, शैतानसिंहराजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 07/2021

प्रार्थी :—

1. अल्लानुर पुत्र आलम खां
2. आसी पत्नि आलम खां
3. जबर खां पुत्र आलम खां
4. जमालदीन पुत्र आलम खां
5. ताजु खां पुत्र आलम खां
6. जेतुन पुत्री आलम खां
7. मदीना पुत्री आलम खां
8. हफीजा पुत्री आलम खां

सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीयान सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :—

1. कायम खां, अहमद खां, बाबू खां पिसरान खानु खां
2. आमदीन खां, मुबारक खां पिसरान उमर खां
3. बरकत खां पुत्र आमदीन खां
4. कमरू खां, फजरू खां पिसरान सुभान खां
5. सरीफ खां पुत्र कमरू खां
6. अताउला पुत्र कमरू खां
7. मेहु खां पुत्र बुंदे खां
8. मकबुल खां पुत्र मेहु खां
9. सायर खां पुत्र आलीज खां सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीयान खियाणियो की ढाणी,सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्वअधिनियम

उपस्थितअधिवक्ता :

श्री रामकिशोर चौधरी प्रार्थी की ओर से

श्री मोहम्मद फारूख खान सिन्धी अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 19.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :—ग्राम प्रार्थीगण कि ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थीगण की खातेदार कब्जासुद जमीन ख.नं. 1153/2 रकबा 0.2832 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थु भूमि आयी हुई है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय नक्शा के संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 240 पर प्रार्थीगण खातेदार के रूप मे दर्ज है। प्रार्थीगण जेतून,मदीना व हफीजा के पिता का नाम आलम खां है लेकिन त्रुटिवंश दादा का नाम रहीम खां दर्ज हो गया। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है इस वर्ष भी प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी मे मूंग की फसल बोयी सबूत मे खसरा गिरदावरी सम्वत 2077

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तक संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1153/2 पीपाड़ शहर से जालुपुरा जाने वाले आम रास्ता के चिपते पश्चिम तरफ आयी हुई है। प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी मे पीपाड़ शहर से जालुपुरा आम रास्ता/सडक से होकर ही आते जाते है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी पीपाड़ शहर से जालुपुरा जाने वाले आम रास्ता के चिपते स्थित होने से कीमती जमीन है। अप्रार्थी सं. एक से नो का प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थीगण की नियत खराब है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन हडप करना चाहते है। अप्रार्थीगण दिनांक 05.01.2021 को प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के पुरब माठ को खुर्द बुर्द करने लग गये जिस पर प्रार्थीगण ने मना किया तो सभी अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण के साथ मारपीट की व झगडा करने लग गये जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही की। अप्रार्थीगण संख्या बल मे अधिक होने से प्रार्थीगण को तंग परेशान कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी जमीन का अप्रार्थी संख्या चोदह से नाप चोक कर सीमांकन हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण मान नही रहे है इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी का नाप चौक कर सीमांकन करवाकर पत्थर गडडी करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा मे पेश करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन है तथा राजस्व ट्रेस नक्शा तरमीमसुदा है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के चिपता पुरब तरफ पीपाड़ शहर से जालुपुरा आम रास्ता/सडक चलती है। अप्रार्थीगण संख्या बल मे अधिक होने से प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी की पुरब माठ खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा प्रार्थीगण को तंग व परेशान कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन का नाप चौक करवाकर सीमांकन कर पत्थर गडडी करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी पत्थरशीला उपलब्ध करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा मे स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा मे स्थित प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1153/2 रकबा 0.2832 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ का नाप चोक कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगडडी करवायी जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण सं. 1 से 13 की ओर से वकील मोहम्मद फारूख खान ने वकालतनामा पेश किया ।

वकील अप्रार्थीगण ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1153/2 रकबा 0.2832 हैक्टयर भूमि का नाप चौक

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कर सीमाकंन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो हमे कोई आपति नही है । इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थीगण भी उपस्थित रहें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1153/2 रकबा 0.2832 हैक्टयर भूमि का नाप चौक करवाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्याय संगत है। अतः वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व वकील अप्रार्थीगण के सहमति पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1153/2 का टीम गठित कर नाप चौक कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवा कर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेशआजदिनांक **29.01.2021** को खुलेन्यायालयमेंलिखवायाजाकरसुनायागया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर